

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 1998-122-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१३

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१३

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. अनुसूची-१ का संशोधन.
५. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१३

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१३

[दिनांक २८ मार्च, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० मार्च, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२)(क) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३ के, आनुषंगिक माल से संबंधित से भिन्न और धारा ५ (एक) के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त होंगे.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में उपधारा (१) में, खण्ड (ख ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख ख ख) “आनुषंगिक माल” से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा ८ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट, माल के विनिर्माण या खनन में, और विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण या वितरण में उपयोग में आने वाले कच्चे माल और संवेष्टन सामग्री से भिन्न माल,”.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किए जाएं, अर्थात्—

“परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन रहते हुए जो कि विहित किए जाएं,—

(एक) अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट, उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोयला और लोहा तथा इस्पात जो कि अन्य मालों के विनिर्माण में कच्चे माल या आनुषंगिक माल के रूप में उपभोग में या उपयोग में लाए जाते हों, से भिन्न माल के संबंध में यदि अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट कर की दर एक प्रतिशत से अधिक हो तो, एक प्रतिशत प्रवेश कर देय होगा;

(दो) जहां व्यापारी शर्तों या निर्बंधनों में से किसी भी शर्त या निर्बंधन का उल्लंघन करता है या उसने मध्यप्रदेश में के किसी स्थानीय क्षेत्र में अन्य माल के विनिर्माण के लिए या आनुषंगिक माल के रूप में कच्चे माल के रूप में माल का उपभोग या उपयोग नहीं किया है, वहां वह प्रवेश कर के रूप में ऐसी रकम चुकाने का दायी होगा जो कि अनुसूची-२ में यथावर्णित पूरी दर तथा उपर्युक्त खण्ड (एक) में वर्णित ऐसे कर की रियायती दर के बीच होने वाले अन्तर के बराबर हो :

परन्तु यह और भी कि जहां अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट, उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोयला और लोहा तथा इस्पात का जिस पर कि प्रवेश कर एक प्रतिशत से अधिक की दर से पहले ही लग चुका हो, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से, अन्य माल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में या आनुषंगिक माल के रूप में उसके द्वारा उपभोग या उपयोग में लाए जाने हेतु क्रय किया जाता है तो वह (क्रय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यापारी) कर की उस रकम के, जो उस मूल्य के ऐसे अनुपात पर, जिस पर कि उसने माल का क्रय किया था, जैसा कि विहित किया जाए, अनुसूची-२ में वर्णित कर की पूरी दर से संगणित की गई हो, बीच होने वाले अन्तर के बराबर रकम की यथास्थिति मुजराई या वापसी, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो कि विहित किए जाएं, पाने का हकदार होगा.”

४. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

अनुसूची-१ का संशोधन.

(एक) अनुक्रमांक १ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“२. लिकर”;

(दो) अनुक्रमांक १० के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“१०-क. मानव निर्मित तन्तु”;

(तीन) अनुक्रमांक १६ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“१७. एल्युमिनियम, कांसे, तांबे और जस्ते की वायर राड, चादरें, सिल्लियां तथा सर्कल.

१८. तांबे की छड़ें, तांबे के कैथोड, तांबे के वाईडिंग वायर, एनामेल्ड कापर वायर, बेयर कापर वायर.

१९. पेपर कवर्ड एल्युमिनियम स्ट्रिप्स/वायर.”

५. मूल अधिनियम की अनुसूची-२,—

अनुसूची-२ का संशोधन.

(एक) भाग-एक में, अनुक्रमांक १ के सामने, कॉलम (२) में, मद (३) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(४) जो अनुसूची-१ में विनिर्दिष्ट हैं”;

(दो) भाग-दो में, अनुक्रमांक ३ के सामने, कॉलम (३) में, अंक “६.४७” के स्थान पर, अंक “२” स्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 1899-122-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT**No. 17 of 2013****THE MADHYA PRADESH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013****TABLE OF CONTENTS****Sections :**

1. Short title and commencement
2. Amendment of Section 2
3. Amendment of Section 4
4. Amendment of Schedule-I
5. Amendment of Schedule-II

MADHYA PRADESH ACT**No. 17 of 2013****THE MADHYA PRADESH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE
PRAVESH PAR KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013**

[Received the assent of the Governor on the 28th March, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th March, 2013.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2013.

(2) (a) The provisions of Section 3, other than relating to incidental goods, and Section 5 (i) of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2012.

(b) The remaining provisions of this amending Act shall come into force from 1st April, 2013.

Amendment of Section 2

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), after clause (bb), the following clause shall be inserted, namely :—

“(bbb) “incidental goods” means the goods other than raw material and packing material, referred to in clause (b) of sub-section (3) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), for use in the manufacture or mining of goods, and in generation, transmission or distribution of electrical energy;”.

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (1), for the provisos, the following provisos shall be substituted, namely:—

“Provided that notwithstanding anything contained in this sub-section and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed,—

- (i) the entry tax payable in respect of goods specified in Schedule-II other than coal, and iron and steel as specified in the said Schedule which are consumed or used as raw material for the manufacture of other goods or as incidental goods shall be one per cent, if the rate of tax specified in Schedule-II exceeds one per cent;

- (ii) where the dealer contravenes any of the conditions or restrictions or has not consumed or used the goods as raw material for the manufacture of other goods or as incidental goods in any local area in Madhya Pradesh, he shall be liable to pay as entry tax an amount equal to the difference between the entry tax payable at the full rate as mentioned in Schedule-II and the concessional rate of such tax mentioned in clause (i) above :

Provided further that where the goods specified in Schedule-II, other than coal, and iron and steel as specified in the said Schedule which have already suffered entry tax at a rate exceeding one per centum are purchased by a registered dealer from another such dealer for consumption or use by him as raw material for the manufacture of other goods or as incidental goods, he (the purchasing registered dealer) shall, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, be entitled to a set off or refund, as the case may be, of an amount equal to the difference between the amount of tax computed at the full rate of tax mentioned in Schedule-II and the amount of tax at one per cent on such proportion of the price at which he had purchased the goods, as may be prescribed.”.

4. In Schedule-I to the principal Act,—

Amendment of Schedule-I.

- (i) after serial number 1, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

“2. Liquor”;

- (ii) after serial number 10, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

“10-A. Man-made fibre”;

- (iii) after serial number 16, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

“17. Wire rods, sheets, ingots and circles, of Aluminium, brass, copper and zinc.

18. Copper wire bar, copper cathode, copper winding wire, enamelled copper wire and bare copper wire.

19. Paper covered aluminium strips/wires”.

5. In Schedule-II to the principal Act,—

Amendment of Schedule-II.

- (i) in Part I, against serial number 1, in column (2), after item (3), the following item shall be inserted, namely:—

“ (4) those specified in Schedule-I”;

- (ii) in Part II, against serial number 3, in column (3), for the figures “6.47”, the figure “2” shall be substituted.